

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:नर्सिंग/नर्स-2/भर्ती 2018/ए-96/2019/

दिनांक.

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर याचिका संख्या 11344/2019 अहमद रजा व अन्य बनाम सरकार तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं 11412/2019, 12335/2019, 11516/2019, 11517/2019, 1067/2019, 10892/2019 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2019 के द्वारा नर्स श्रेणी द्वितीय के पद हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 30.05.2018 में राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्य में एनएचएम योजना में संविदा के आधार पर नर्स द्वितीय/स्टाफ नर्स के पद पर कार्य करने के अनुभव का लाभ दिये जाने हेतु निर्देशित किया है जिसके क्रम में इस निदेशालय द्वारा नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती-2018 हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 30.05.2018 के संदर्भ में जारी सूचना दिनांक 17.06.2019 के द्वारा दिनांक 24.06.2019 से 28.08.2019 तक दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2019 की पालना में संलग्न सूचि में अंकित याचिकाकर्ताओं को दिनांक 29.08.2019 प्रातः 11:00 बजे को दस्तावेज सत्यापन हेतु मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर में आमंत्रित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे निदेशालय द्वारा जारी सूचना दिनांक 17.06.19 में उल्लेखित समस्त मूल दस्तावेज इत्यादि छायाप्रति के साथ लेकर निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित हों। दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले याचिकाकर्ताओं को किसी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।

संलग्न.- सूचि



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

दिनांक. 06.8.19

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2/भर्ती 2018/ए-96/2019/ 421

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।

2. डॉ. दिभूति भूषण शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।

3. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, नर्सिंग, मुख्यालय एवं केस प्रभारी अधिकारी।

4. श्री संजय राजपाल, समन्वयक, एमएनआईटी, जयपुर को उक्त संबन्ध में हुई वार्ता के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

5. समस्त याचिकाकर्ता को रिट में दिये पते पर डाक द्वारा।

6. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।

7. आदेश/निजी पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 29.08.2019 को बुलाये जाने हेतु याचिकाकर्ताओं की सूची।

क्र.सं.	याचिकाकर्ता का नाम	रिट सं.	निर्णय दिनांक
1	1.अहमद रजा 2.संजय कुमार राठौड़ 3.प्रमोद कुमार सोनी 4.मो. साजिद 5.नाजिर अहमद 6 सैयद अब्दुल मजीद 7.अनवर हुसैन	11344 / 2019	24.07.19
2	1.धर्मेन्द्र कुमार मीणा 2.अजय कुमार सगर 3.सैयद मोत्सम नकवी 4 सतवीर सिंह कुलखंद्या 5.निशा पाटिदार 6.ज्योति अहीर	11412 / 2019	24.07.19
3	1 पुष्कर लाल कुमावत 2 अनिता कुमारी कुमावत 3 तखत सिंह चुण्डावत 4 मुकेश खटीक 5 मीना भट्ट 6 पवन कुमार जैन 7 नरेन्द्र सिंह 8 विशाल शर्मा 9 नितिन कुमार व्यास 10 हरीश कुमार टेलर 11.मनीष कुमार बैरागी	12335 / 2019	24.07.19
4	1 मनोज सिंगर 2 निर्मला 3 कृष्णा कुमारी 4.लक्ष्मी देवी 5 सीमा 6 निशा यादव 7 विद्या सागर मगल 8 नवीन प्रकाश	11516 / 2019	24.07.19
5.	1 कृष्णा कुमारी 2 अनिता कुमारी	11517 / 2019	24.07.19
6	कविता शर्मा	1067 / 2019	24.07.19
7.	1 रूप सिंह मीणा 2.शमीम बानो 3.जुबैर अहमद 4 मुजाहिद अहमद 5 मोहम्मद जहीर	10892 / 2019	24.07.19

62

7

7